



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, (अजमेर)
जिला - अजमेर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /18160908432

दिनांक: 03-01-2019

आवेदक का आधार नम्बर : 745525951561

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या :

दोहरी / संशोधित प्रति - हाँ / पूर्व में जारी प्रमाण पत्र क्रमांक : 90 दिनांक : 04/07/2012

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवराज जापत पुत्र/पुत्री श्री नेमीचंद जापत गांव/नगर रंगरान मोहल्ला पीसांगन जिला/डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 17-REGAR (17 रेगर) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री शिवराज जापत गांव/नगर रंगरान मोहल्ला पीसांगन जिला / डिवीजन अजमेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व-1950 की धारा 20 में है।

2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस्.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180167921547

उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, (अजमेर)

Signature valid

Digitally signed by Samanar Singh Bhati
Designation : SUB DIVISIONAL
OFFICER
Date : 2019.01.03 14:56:43 IST
Reason: Approved

